न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 27 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01. कानसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ाकलां तहसील सोजत जिला पाली राज0।	01.	अकूब खां पुत्र मेहम्मद खां
	02.	ईदु खां पुत्र मेहम्मद खां
	03.	बाबु खां पुत्र उरजी खां
	04.	रहमान खां पुत्र उरजी खां
	05.	शमसु खां के वारिसान — 5/1 सतार खां पुत्र शमसु खां 5/2 इस्माईल खां पुत्र शमसु खां
	06.	आरिफ खां पुत्र फकीर मोहम्मद
	07.	ढगली देवी पत्नी फकीर मोहम्मद
	08.	रजिया बानो पुत्री फकीर मोहम्मद
	09.	सबीर खां पुत्र फकीर मोहम्मद तमाम जातिगण तेली मुसलमान निवासीगण गुड़ा कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0।
	10.	तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 भू0 राजस्व अधिनियम भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक : 04/11/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गुड़ा कलां तह0 सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त कृषि भूमि ख.नं. 188 रकबा 1.13 है0, ख0नं0 189 रकबा 0.71 है0 किस्म जा0दो0 व चा.दो. आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि के पड़ोस में अप्रार्थी सं0 01 से 09 की ख.नं. 187, 165, 159 व 158 स्थित हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि व अप्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के बीच स्थित माठ व सीमाओं तथा धोरा पाली को लेकर हमेशा मौके पर भारी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं तथा मौके पर माठो एवं सीमाओं को लेकर आपसी मनमुटाव व विवाद भी होते रहते हैं। अप्रार्थीगण अनावश्यक प्रार्थी की भूमि में कब्जा करने की नियत से हस्तक्षेप करने पर आमादा हैं। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि का सीमाकंन एवं पैमाईश करने हेतु आवेदन तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश किया। जिसमें पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के आधार पर मौके पर विवाद होने से सीमांकन नहीं हो सका। जिससे प्रार्थी द्वारा न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र

सीमांकन कर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिये मुटाम लगाये जाने हेतु पेश किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर ख.नं. 188 रकबा 1.13 है0, ख0नं0 189 रकबा 0.71 है0 किस्म जा0दो0 व चा.दो. की भूमि का सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढ़ी के जरिये मुटाम कायम किये जाने का निवेदन किया।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना/तामिल बार-बार आवाजे लगाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से आज अप्रार्थीगण सं0 01 से 09 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। अप्रार्थी सं0 10 जबाब प्रार्थना पत्र पेश करना नहीं चाहने से जबाब का अवसर समाप्त कर जबाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा गुड़ा कलां तह0 सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त कृषि भूमि ख.नं. 188 रकबा 1.13 है0, ख0नं0 189 रकबा 0.71 है0 किस्म जा0दो0 व चा.दो. आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि के पड़ोस में अप्रार्थी सं0 01 से 09 की ख.नं. 187, 165, 159 व 158 स्थित हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि व अप्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के बीच स्थित माठ व सीमाओं तथा धोरा पाली को लेकर हमेशा मौके पर भारी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं तथा मौके पर माठो एवं सीमाओं को लेकर आपसी मनमुटाव व विवाद भी होते रहते हैं। जिससे प्रार्थी द्वारा न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र सीमांकन कर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिये मुटाम लगाये जाने हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया हैं। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत मौका फर्द की छाया प्रति अनुसार मौके पर सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा गुड़ा कलां तह0 सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त कृषि भूमि ख.नं. 188 रकबा 1.13 है0, ख0नं0 189 रकबा 0.71 है0 किस्म जा0दो0 व चा.दो. का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि सरहद मौजा गुडा कलां तह0 सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त कृषि भूमि ख.नं. 188 रकबा 1.13 है0, ख0नं0 189 रकबा 0.71 है0 किस्म जा0दो0 व चा.दो., प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

निर्णय आज दिनांक 04/11/2024 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली